

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

शुद्धि पत्र

संचिका सं०-ए/मु०-४४-१८/२०१५- विभागीय आवंटनादेश सं०-२९४५ दिनांक-२१.०३.
२०१६ के कंडिका-२ में आंशिक संशोधन किया जाता है :-

कंडिका-२ में "मृतकों के आश्रित के स्थान पर "पीड़ित परिवारों" पढ़ा जाए।

(ii) शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

(iii) उक्त आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-....., २०१६

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांक-ए/मु०-४४-१८/२०१५..... /

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-....., २०१६

ज्ञापांक-ए/मु०-४४-१८/२०१५..... /

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-....., २०१६

ज्ञापांक-ए/मु०-४४-१८/२०१५..... /

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, खगड़िया /वित्त
विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-....., २०१६

ज्ञापांक-ए/मु०-४४-१८/२०१५..... /

प्रतिलिपि:-उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-२९-३-, २०१६

ज्ञापांक-ए/मु०-४४-१८/२०१५^{३०१७}..... /

प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3
25-3

सरकार के विशेष सचिव

Jitendra
29.03.16
olc